न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : रिमाण्ड 06/2019(प्र.सं. 46/2017)
सीसीएमएस : 2019/00328

1. वीर सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 75 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. बलजिन्द्र सिंह उर्फ जीन्द्रपाल सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 75 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. मलकीयत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी 75 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. कलवन्त सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जटसिख निवासी 75 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी 75 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:अप्रार्थी

उपस्थिति :–
1. श्री राजाराम धारणियां, वकील प्रार्थीगण
2. श्री नरेन्द्र भादू, वकील अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 251क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि चक 75 आरबी मु.नं. 10, 23, 8, 11, 24, 25, 28 में पंहुच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थी की भूमि चक 75 आरबी के मु.नं. 11 कि.नं. 21 में 2 गुणा 2 बिस्वा पूर्व दक्षिणी कोणा यानि साढे सोलह गुणा साढे सोलह वर्गफुट यानि 272.25 वर्गफुट रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन करने पर न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 27.12.2017 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण यह लिखते हुए अस्वीकार कर दिया कि भूमि में आने जाने के लिए आम रास्ता स्वीकृत शुदा हैं, नवीन रास्ता स्वीकृत करने की आवश्यक्ता नहीं हैं।

प्रार्थीगण द्वारा मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील करने पर श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महो. श्रीगंगानगर द्वारा अपील 5/18 में दिनांक 28.02.2018 को निर्णय पारित कर आदेश जारी किये कि इस न्यायालय का आदेश अपास्त कर अपील स्वीकार कर आवेदित 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार नियम 70 के प्रावधानुसार मुआवजा राशि रे... दरामद कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.07.05 15:39:23 IST
Reason: SelfAttested

मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रींगगान... द्वारा मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर की गयी। मा. मण्डल द्वारा दिनांक 28.08.2019 को प्रकरण में निर्णय पारित किया गया कि "निगरानी ...ार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जता हैं कि वहह उभ्यपक्ष की उपस्थिति में स्वयं अथवा तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करावें। तत्पश्चात प्रस्तुत आपतियों पर विचारण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

मूल रिकार्ड मा. मण्डल से प्राप्त होने पर रिमाण्ड प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। पक्षकारान जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रकरण में मा. राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार तहसीलदार स्वयं को मौका मुआयना हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2021/1209 दिनांक 16.08.2021 रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुताबिक रिपोर्ट "रास्ता विवाद के संदर्भ मे राजस्व विभाग के कार्मिक संबंधित पटवारी, भू.अ.नि. व उपतहसीलदार गजसिंहपुर तथा दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में चक 75 आरबी मु.नं. 23 में जाने बाबत मौका मुआयना किया। जिसमे परिवादी वीर सिंह आदि को अपने खेत में जाने बाबत रास्ते की मांग की गई है तथा गांव की मुख्य आबादी भूमि से चिपते हुए मु.नं. 12 के कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता रिकार्ड दर्ज हैं। इसी मुरब्बा के चिपते हुए मु.नं. 11 में रास्ता न होकर इसके दक्षिण में मु.नं. 23 के कि.नं. 1 ता 5 व उससे आगे सुखाचार के तहत चल रहा रास्ता पड़ोसी गांव 74 आरबी को जाता हैं। क्योंकि मौके की स्थिति विचित्र होने की वजह से मु.नं. 11 के कि.नं. 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने में एक बिस्वा का चौथाई हिस्सा यानि 0.003है. रकबा रास्ता हेतु स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, क्योंकि गांव से आने वाले काश्तकरान के मु.नं. 23 के कि.न. 1 ता 5 में सुखाचार के तहत चल रहा रास्ता व इसी मुरब्बा के कि.न. 1–10–11–20–21 मे स्वीकृतशुदा रास्ता मु.नं. 11 के कि.न. 21 के दक्षिण–पश्चिमी कोने में ही जुड़ता है। यही दोनों काश्तकारों के लिए उचित है, मगर मु.नं. 11 के काश्तकार जगसीर सिंह द्वारा बावजूद समझाईश के संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उनकी भूमि में पहुंच हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग उपलब्ध नहीं हैं, रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को उसकी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर ही न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 27.12.2017 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया था। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मा. राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। प्रकरण में स्वयं तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा मौका निरीक्षण पक्षकारान की उपस्थिति में किया जाकर न्याायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर मु.नं. 11 के कि.नं. 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने में 0.003है. रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की हैं। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी की भूमि चक 75 आरबी के मु.नं. 11 के कि.नं. 21 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने में 0.003है. गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि की एवज में मुआवजे के तौर पर अप्रार्थी को रास्ते में आई भूमि की डी.एल.सी. [illegible] राशि अदा करेगें। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थीगण से मुआवजा [illegible] करवाकर, उपरोक्तानुसार स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड [illegible] अप्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.07.05 15:39:23 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर